भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 139
सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947, (शक)

पीएम-एसवाईएम और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी

139. श्री राम शिरोमणि वर्मा:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त जिलों में पंजीकृत उन श्रमिकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त योजनाओं के अंतर्गत नियमित पेंशन या बीमा दावा प्राप्त हुआ;
(ग) क्या सरकार ने उक्त जिलों में उक्त योजनाओं के लाभों के प्रचार-प्रसार के लिए कोई विशेष अभियान चलाया है, और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) योजना के तहत दिनांक 10.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, श्रावस्ती और बलरामपुर में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या क्रमशः 3739 एवं 5706 है। यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी और लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने अर्थात् 2039 के बाद से पेंशन मिलनी शुरू होगी।

पीएम-एसवाईएम योजना के लाभ का प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

(ii) पीएम-एसवाईएम में नामांकित प्रत्येक पात्र व्यक्ति के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(iii) स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल माड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाओं की शुरूआत।

जारी..2/-

(iv) निष्क्रिय खातों के रिवाइवल की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दोतरफा एकीकरण।

(vi) जागरूकता सृजित करने के लिए एसएमएस अभियान।

(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित करना।

इसके अलावा, लाभान्वित श्रमिकों की संख्या और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में पंजीकृत श्रमिकों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 02-07-2025 तक की स्थिति के अनुसार	**पीएमएसबीवाई**		
	संचयी नामांकन	**भुगतान किए गए दावों की संचयी संख्या**	**भुगतान किए गए संचयी दावे की राशि (करोड़ में)**
बलरामपुर	6,53,426	26	0.52
श्रावस्ती	3,30,329	39	0.78

स्त्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं के लिए बैंक और अभिसरित योजनाओं के लिए बीमा कंपनियां।

बैंकों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर नियमित अभियान चलाए गए।

वर्तमान में, पीएमएसबीवाई में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से 01.07.2025 से 30.09.2025 तक देश भर में 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 3 महीने का "वित्तीय समावेशन परिपूर्णता अभियान" शुरू किया गया है। इन दो जनसुरक्षा योजनाओं में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए, बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जो निवासियों को योजना में नामांकन के लिए सूचना तक सीधी पहुंच और सहायता प्रदान करते हैं। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और भागीदारी में सुधार करना है, जिससे मौके पर ही नामांकन करने सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर को पाटने में मदद मिलती है।

*****